

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक : प' 6(50)पपा / 2018

जयपुर, दिनांक

27 MAY 2019

:: आदेश ::

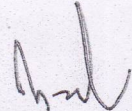
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21418/2018, 21429/2018, 21449/2018, 22588/2018 एवं 24692/2018 में दिनांक 09.04.2019 को पारित आदेश की अनुपालना में एवं दिनांक 21.05.2019 को आयोजित प्रीलिटिगेशन कमेटी की मिटिंग में लिए गये निर्णय के अनुसरण में निम्नलिखित संस्थाओं को सत्र 2018-19 से 02 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम (AHDP) हेतु 100 सीट प्रतिवर्ष की प्रवेश क्षमता की संस्था स्थापित करने की स्वीकृति जारी की जाती है।

क्र. सं.	पशुपालन विद्यालय का नाम	संचालन समिति/ट्रस्ट का नाम	वर्ष 2018-19 से वार्षिक प्रवेश क्षमता
1.	प्रो.एस. करण इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेनरी, मुकुन्दगढ मंडी, झुन्झुनूं	प्रो.एस. करण शिक्षा समिति	100 सीटें *
2.	शेखावाटी वेटेनरी इंस्टीट्यूट, सर्किट हाउस के पीछे, जयपुर रोड, सीकर	गुरुकुल शिक्षण संस्थान	100 सीटें *
3.	सालासर बालाजी वेटेनरी इंस्टीट्यूट, सर्किट हाउस के पीछे, जयपुर रोड, सीकर	गुरुकुल शिक्षण संस्थान	100 सीटें *
4.	महला वेटेनरी कॉलेज, खाटुश्यामजी रोड, रींगस, सीकर	श्री श्याम शिक्षण संस्थान	100 सीटें *
5.	श्रीमति रामकुमारी वेटेनरी कॉलेज, मुकुन्दगढ मंडी, झुन्झुनूं	प्रो.एस. करण शिक्षा समिति ट्रस्ट	100 सीटें *

* 2018-19 में न्यायिक आदेश 09.4.2019 के क्रम में 15 प्रतिशत उपरोक्त संस्थाओं में मेनेजमेन्ट कोटा के छात्र ही देय हैं तथा उपरोक्त संस्थाओं पर वर्ष 2019-20 से वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 सीट प्रतिवर्ष प्रभावी होगी।

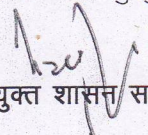
राज्य सरकार द्वारा अन्य 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम संस्थाओं के लिये पूर्व में जारी शर्तें/दिशा निर्देश उपरोक्त संस्थाओं पर भी प्रभावी रहेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मानव मंत्री, पशुपालन विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग।
6. रजिस्ट्रार, पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर को प्रति प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय स्तर पर उपरोक्त संस्थाओं की सम्बद्धता एवं छात्र नामांकन संबंधित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को सूचित करें।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, प्रो.एस. करण शिक्षा समिति द्वारा संचालित प्रो.एस. करण इंस्टीट्यूट ऑफ वेटेनरी मुकुन्दगढ मंडी, झुन्झुनूं।
9. सचिव, गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित शेखावाटी वेटेनरी इंस्टीट्यूट सर्किट हाउस के पीछे जयपुर रोड, सीकर।
10. सचिव, गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित सालासर बालाजी वेटेनरी इंस्टीट्यूट सर्किट हाउस के पीछे जयपुर रोड, सीकर।
11. सचिव, श्री श्याम शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित महला वेटेनरी कॉलेज, खाटुश्यामजी रोड, रींगस, सीकर।
12. ट्रस्टी, प्रो.एस. करण शिक्षा समिति ट्रस्ट द्वारा संचालित श्रीमति रामकुमारी वेटेनरी कॉलेज, मुकुन्दगढ मंडी, झुन्झुनूं।
13. रक्षित पंजिका।


संयुक्त शासन सचिव